संख्या- 8 /2024/136/001-30-1099-149 -2022-136-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2024

विषय: जनपद देवरिया स्थित पुराने बस स्टेशन परिसर में व्यवसायिक काम्पलेक्स, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं बेसमेण्ट में पार्किंग निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान प्रबन्धक (पीएण्डआईडी), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 79बी/डीए/पूर्व/24-76जेईटी/वि0/2023-24, दिनांक 23.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया स्थित पुराने बस स्टेशन परिसर में व्यवसायिक काम्पलेक्स, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं बेसमेण्ट में पार्किंग निर्माण कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावित लागत धनराशि रू0 1990.28 के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत धनराशि रू0 1769.32 लाख (रूपये सत्रह करोड़ उन्हत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) औचित्यपूर्ण पाया गया है। उक्त निर्माण हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रधान प्रबन्धक (पीएण्डआईडी), उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.01.2024 द्वारा जनपद देवरिया स्थित पुराने बस स्टेशन परिसर में व्यवसायिक काम्पलेक्स, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं बेसमेण्ट में पार्किंग निर्माण कराये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस- 2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/2023/बी-1- 479/दस-2023-231/2023, दिनांक 01.08.2023 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बीस-1- 602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 1769.32 लाख (रूपये सत्रह करोड़ उन्हत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू0 442.33 (रूपये चार करोड़ बयालीस लाख तैतीस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित शर्तो के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुराने बसे स्टेशन स्थिति जर्जर भवनों को हटाकर किया जाना प्रस्तावित है। अतः ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-158/2023/993/23-5–23–50(40) ई0जी0/08 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो तथा जी०एस०टी० का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर, स्पिलिट ए०सी०, वाटर कूलर तथा डी०जी०सेट का प्रावधान किया गया हैं। अतः इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम का होगा।

(6) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(9) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित है।

(11) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(16) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(17) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या E-9-508-X-2023-24- दिनांक: 6-3-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या- 08 /2024/136/001-30-1099-149 -2022-136-2024, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड ।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव।